संख्या-37/2015/क0नि0-4-988/11-15-300(29)/2008

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2015**

विषयः- वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 को निक्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही तकनीकी हायर्ड मैन पावर के एवं कालसेन्टर में कार्यरत एजेन्ट्स के पारिश्रमिक मदों हेतु निक्सी को अग्रिम भुगतान किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-तकनीकी-परसन्स- (2015-16)/250/वाणिज्य कर, दिनांक 16 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर बजट से रू0 500.00 लाख (रू0 पाँच करोड़ मात्र) धनराशि शासनादेश सं0:23/2015/क0नि0-4-657/11-2015-300(24)/ 2014, दिनांक 08-04-2015 द्वारा आपके निर्वतन पर अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि में से निक्सी के द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवा "तकनीकी हायर्ड मैनपावर तथा काल सेन्टर में कार्यरत एजेन्ट्स के पारिश्रमिक भुगतान हेतु कुल रूपये 80,94,132.00 (रू0 अस्सी लाख चैरानवे हजार एक सौ बत्तीस मात्र) को दो समान किश्तों में, जिसकी प्रथम किश्त रू0 40,47,066.00 माह जुलाई, 2015 में तथा द्वितीय किश्त रू0 40,47,066.00 का अग्रिम भुगतान माह नवम्बर, 2015 में किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. **33 मैनपावर को विभाग में लगभग उतनी ही परिलब्धियां प्राप्त करने वाले रिक्त पदों की सीमा के अन्तर्गत रखा जाये। रखे जाने वाली 33 मैनपावर को गणना में लेते हुए स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
2. **निक्सी को जुलाई, 2015 से फरवरी, 2016 हेतु प्रश्नगत कार्य के लिये अग्रिम का भुगतान 02 समान किश्तों में किया जाय। प्रथम जुलाई, 2015 में तथा दूसरी किश्त का भुगतान नवम्बर, 2015 में किया जाय।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. पूर्व में लिये गये अग्रिम का समायोजन महालेखाकार कार्यालय को यथासमय भेजा जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक **31.3.2016** तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा उक्त धनराशि का समायोजन भी दिनांक **31.3.2016** तक कर लिया जायेगा एवं महालेखाकार को समायोजन भेजा जाय।

3- अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15(4)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रूपये 80,94,132.00 (रू0 अस्सी लाख चैरानवे हजार एक सौ बत्तीस मात्र) की धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान की जा रही है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ.ए.-1-229/दस- 2015, दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-37/2015/क0नि0-4-988(1)/11-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in